



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-11022026-270042
CG-WB-E-11022026-270042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947

No. 668]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 30 जनवरी, 2026

का.आ. 702(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, [(रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित)] (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्द्धमान जिला में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "हावड़ा मंडल में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रूट, हावड़ा— बर्द्धमान कॉर्ड लाइन के डानकुनि—खाना अनुभाग में ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण करके 40 रेलवे फाटकों का उन्मूलन" के निष्पादन, रख-रखाव और प्रचालन के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पूर्व बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा

और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुमति प्रदान करेगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्द्धमान जिला में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात् "हावड़ा मंडल में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रूट, हावड़ा- बर्द्धमान कॉर्ड लाइन के डानकुनि-खाना अनुभाग में ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण करके 40 रेलवे फाटकों का उन्मूलन" के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम— पूर्व बर्द्धमान

क्र. सं.	रेलवे फाटक	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या		अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक/पूर्ण
				(आर. एस.)	(एल. आर.)	एकड़	हेक्टेयर	
1	सं. 51/C/E IR किमी 63/03-05 पर झापनडांगा से जौग्राम स्टेशन के बीच।	जामालपुर	अस्ताई-106	597		0.005	0.0020	आंशिक
				1179		0.120	0.0486	आंशिक
				1235		0.115	0.0465	आंशिक
				1236		0.105	0.0425	आंशिक
				1255		0.045	0.0182	आंशिक
				1256		0.010	0.0040	आंशिक
				1257		0.135	0.0546	आंशिक
				1272		0.120	0.0486	आंशिक
				1273		0.045	0.0182	आंशिक
				1274		0.035	0.0142	आंशिक
				1275		0.200	0.0809	आंशिक
				1276		0.190	0.0769	आंशिक
				1277		0.175	0.0708	आंशिक
				1278		0.455	0.1841	आंशिक
				1290		0.115	0.0465	आंशिक
				1296		0.135	0.0546	आंशिक
				1301		0.195	0.0789	आंशिक
				1302		0.010	0.0040	आंशिक
				1304		0.020	0.0081	आंशिक
				1305		0.120	0.0486	आंशिक
				1306		0.140	0.0567	पूर्ण
				1307		0.015	0.0061	आंशिक
2			आमड़ा -112	896	959	0.120	0.0486	आंशिक
				1648	1733	0.010	0.0040	आंशिक
				1649	1734	0.025	0.0101	आंशिक
				1650	1735	0.045	0.0182	आंशिक
				1652	1737	0.045	0.0182	आंशिक

क्र. सं.	रेलवे फाटक	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या		अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				(आर. एस.)	(एल. आर.)	एकड़	हेक्टेयर	
				1653	1738	0.035	0.0142	आंशिक
				1654	1739	0.055	0.0223	आंशिक
				1655	1740	0.045	0.0182	आंशिक
				1656	1741	0.120	0.0486	आंशिक
				1697	1782	0.255	0.1032	आंशिक
				1698	1783	0.240	0.0971	आंशिक
				1701	1786	0.240	0.0971	आंशिक
				1704	1789	0.020	0.0081	आंशिक
3			पांच शिमूल -107	285	337	0.005	0.0020	आंशिक
				288	342	0.125	0.0506	आंशिक
				289	343	0.005	0.0020	आंशिक

[फा. सं. W(3)420/1/DFC/ VOL-III]

विक्रम गुप्ता, प्रधान मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS**(Eastern Railway)****NOTIFICATION**

Kolkata, the 30th January, 2026

S.O. 702(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989, (as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose execution, maintenance and operation of the Special Railway Project namely, “Howrah Division - 40 Nos Elimination of Level Crossing of DFC route by ROB/RUBs on Indian Railway - DKAE-KAN HBC Chord line” in the Purba Bardhaman District in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Purba Bardhaman, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub- section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the proposed Special Railway Project namely, “Howrah Division - 40 Nos Elimination of Level Crossing of DFC route by ROB/RUBs on Indian Railway - DKAE-KAN HBC Chord line” in the Purba Bardhaman District in the State of West Bengal.

Name of District- Purba Bardhaman

Sl. No.	Level Crossing Gate	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.		Acquisition Area		Part/ Full
				(R.S.)	(L.R.)	Area in Acres	Area in Hectare	
1	NO. 51 C/E AT IR KM 63/03-05 BETWEEN JHAPANDAN GA & JAUGRAM STN.	JAMALPUR	ASTAI -106	597		0.005	0.0020	Part
				1179		0.120	0.0486	Part
				1235		0.115	0.0465	Part
				1236		0.105	0.0425	Part
				1255		0.045	0.0182	Part
				1256		0.010	0.0040	Part
				1257		0.135	0.0546	Part
				1272		0.120	0.0486	Part
				1273		0.045	0.0182	Part
				1274		0.035	0.0142	Part
				1275		0.200	0.0809	Part
				1276		0.190	0.0769	Part
				1277		0.175	0.0708	Part
				1278		0.455	0.1841	Part
				1290		0.115	0.0465	Part
				1296		0.135	0.0546	Part
				1301		0.195	0.0789	Part
				1302		0.010	0.0040	Part
				1304		0.020	0.0081	Part
				1305		0.120	0.0486	Part
				1306		0.140	0.0567	Full
				1307		0.015	0.0061	Part
2			AMRA-112	896	959	0.120	0.0486	Part
				1648	1733	0.010	0.0040	Part
				1649	1734	0.025	0.0101	Part
				1650	1735	0.045	0.0182	Part
				1652	1737	0.045	0.0182	Part
				1653	1738	0.035	0.0142	Part

Sl. No.	Level Crossing Gate	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.		Acquisition Area		Part/ Full
				(R.S.)	(L.R.)	Area in Acres	Area in Hectare	
				1654	1739	0.055	0.0223	Part
				1655	1740	0.045	0.0182	Part
				1656	1741	0.120	0.0486	Part
				1697	1782	0.255	0.1032	Part
				1698	1783	0.240	0.0971	Part
				1701	1786	0.240	0.0971	Part
				1704	1789	0.020	0.0081	Part
3			PANCH SHIMUL-107	285	337	0.005	0.0020	Part
				288	342	0.125	0.0506	Part
				289	343	0.005	0.0020	Part

[F. No. W(3)420/1/DFC/ VOL.III]

VIKRAM GUPTA, Principal Chief Engineer